



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/523/2017/.....

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

पटना, दिनांक

विषय: जिला औषधि भंडार एवं जिलान्तर्गत अस्पतालों के औषधि भंडार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औषधियों/मेडिकल कन्ज्यूमेबल/मेडिकल डिवाइस की आपूर्ति श्रृंखला को अत्यधिक सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। जिला औषधि भंडार इस आपूर्ति श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रत्येक जिला में औषधियों/मेडिकल कन्ज्यूमेबल/मेडिकल डिवाइस का समुचित भंडारण, निर्धारित मापदंडों के अनुरूप उसका रख-रखाव तथा जिला औषधि भंडार से अन्य संबंधित अस्पतालों में त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रावधानित मानक व्यवस्थाओं से सुसज्जित जिला औषधि भंडार का होना अनिवार्य है। आप अवगत हैं कि प्रत्येक अस्पताल में विशिष्ट रूप से सभी मानक व्यवस्थाओं से लैस पृथक औषधि भंडार होना है जिसकी व्याख्या काया-कल्प एवं लक्ष्य कार्यक्रम में भी की गई है। राज्य स्तर से अस्पतालों के निरीक्षण के क्रम में बहुधा यह पाया गया है कि अस्पताल का औषधि भंडार प्रकीर्ण अवस्था में है। जून माह के 19-24 तारीख के बीच सम्पन्न जिलास्तरीय प्रशिक्षण में कतिपय जिलों द्वारा औषधि भंडार में स्थान एवं अन्य आवश्यक उपस्करों की कमी प्रतिवेदित की गयी है।

2. उपर्युक्त के आलोक में औषधि आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला औषधि भंडार तथा स्वास्थ्य संस्थानों के औषधि भंडारों के निर्माण/नवीकरण की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अगले दो वित्तीय वर्षों 2024-25 एवं 2025-26 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बजटीय उपबंध की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है तथा एतदर्थ प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना है। स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में आपूर्ति श्रृंखला की अहम भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार जिला औषधि भंडार एवं जिला अस्पताल के औषधि भंडारों के निर्माण (यदि भवन जीर्णोद्धार हो तो)/नवीकरण तथा अनुमंडलीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भंडार के नवीकरण/जीर्णोद्धार हेतु बजट की माँग अपेक्षित प्रतीत हो रही है।

3. अतः अनुरोध है कि जिलान्तर्गत जिला औषधि भंडार, जिला अस्पताल, सभी अनुमंडलीय अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भंडारों के निर्माण अथवा नवीकरण की आवश्यकता से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र में भरकर इसका हस्ताक्षरित प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति को drugcell@gmail.com तथा aoshsbihar@gmail.com पर दिनांक 01.09.2023 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार सिंह)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,

दूरभाष: 0612-2290328, फ़ैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



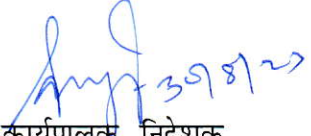
-2-

ज्ञापांक SHSB/PM/523/2017/3310.....

पटना, दिनांक 30/08/23.....

प्रतिलिपि :

- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 654(12) दिनांक 26.07.2021 द्वारा जिला औषधि भंडार के प्रबंधन को BMSICL के अधीन करने के आलोक में जिला औषधि भंडार के निर्माण अथवा नवीकरण हेतु निगम के स्तर पर जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त मद में बजट की माँग का प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाए।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला योजना समन्वयक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कार्यपालक निदेशक



**जिला औषधि भंडार तथा स्वास्थ्य संस्थानों के औषधि भंडारों के निर्माण/नवीकरण की
आवश्यकता से संबंधित प्रपत्र**

जिला का नाम:-

1. जिला औषधि भंडार

क्या नये जिला औषधि भंडार की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं)	यदि हाँ, तो क्या नये औषधि भंडार के लिए न्यूनतम 8000 वर्ग फीट जगह उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	यदि नहीं, तो क्या वर्तमान जिला औषधि भंडार में नवीकरण की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कृपया राशि का उल्लेख करें।	अभ्युक्ति

2. जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के औषधि भंडार:-

स्वास्थ्य संस्थान का नाम	क्या औषधि भंडार में नवीकरण की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं)	यदि हाँ, तो कृपया राशि का उल्लेख करें।	अभ्युक्ति

हस्ताक्षर
(जिला योजना समन्वयक)
जिला

हस्ताक्षर
(जिला कार्यक्रम प्रबंधक)

हस्ताक्षर
(सिविल सर्जन)

12/06/21
29/4/23